प्रेषक

सुरजन सिंह
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाहजहाँपुर

सेवा में

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

द्वारा – श्रीमान् जनपद न्यायाधीश ,
शाहजहाँपुर

विषय – आवासीय प्रयोजन के लिये फ्लैट क्रय करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में आपत्तियों का स्पष्टीकरण

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय ने परिपत्र संख्या 25 / एडमिन (ए०), दिनांकित इलाहाबाद, 13.07.1998 के अनुपालन में तथा आवासीय प्रयोजन के लिये लखनऊ में फ्लैट क्रय करने के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.12.2019 को माननीय न्यायालय की अनुमति हेतु अनुरोधपत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त अनुरोधपत्र पर आहूत आपत्तियों के सम्बन्ध में विवरण तथा स्पष्टीकरण सहित अतिविनम्र निवेदन निम्नवत् है –

1. उक्त फ्लैट क्रेता आवंटीगण से 60,00,000/– रुपये प्रतिफल के एवज में नामान्तरित/क्रय किया जाना तय हुआ है ।
2. प्रतिफल राशि के कुल 60,00,000/– रुपये में से 80% राशि अर्थात् 48,00,000/– रुपये एच०डी०एफ०सी० हाऊसिंग फाइनेन्स कम्पनी, लखनऊ से आवासीय ऋण के रूप में लिया जाना प्रस्तावित है। इसका विवरण इस प्रकार है –
   i. कुल आवासीय ऋण – 48,00,000/– रुपये
   ii. भुगतान की कुल अवधि – 20 वर्ष अर्थात कुल 240 मासिक किश्तें
   iii. मासिक किश्त की राशि – 41,656/– रुपये
3. प्रतिफल की शेष राशि 12,00,000/– रुपये में से अनुबन्ध–पत्र के निष्पादन के पूर्व अभी तक कुल 1,00,000/– रुपये मेरे वेतन बचत खाते के चेक संख्या – 286106 के माध्यम से दिनांक 27.11.2019 को बतौर टोकन मनी प्रदान किया गया है।
4. प्रतिफल की शेष 11,00,000/– रुपये का भुगतान वेतन बचत खाते से तथा वैयक्तिक ऋण द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
5. वैयक्तिक ऋण की राशि का विवरण इस प्रकार है –
   i. प्रस्तावित वैयक्तिक ऋण (एस०बी०आई० से) – 8,00,000/–
   ii. भुगतान की कुल अवधि – 6 वर्ष अर्थात कुल 72 मासिक किश्तें
   iii. मासिक किश्त की राशि – 15,433/– रुपये

Scanned by CamScanner

6. इस प्रकार प्रार्थी द्वारा आवासीय ऋण की मासिक किश्त के रूप में 41,656/– रुपये तथा वैयक्तिक ऋण की मासिक किश्त के रूप में 15,433/– रुपये अर्थात कुल 57,089/– रुपये का मासिक भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। जबकि मुझे सभी कटौतियों के उपरान्त कुल मासिक वेतन 1,28,148/– रुपये प्राप्त होता है।
7. प्रतिफल की शेष राशि 3,00,000/– रुपये का भुगतान तथा अन्य व्ययों का भुगतान मेरे वेतन बचत खाते से किया जायेगा, जिसमें वेतन मद से बचतें तथा पी०पी०एफ० खाते से 2,74,000/– रुपये का आहरण सम्मिलित है।
8. उक्त फ्लैट को क्रय करने के लिये माननीय उच्च न्यायालय की कृपापूर्ण अनुमति की आवश्यकता है। उक्त फ्लैट को क्रय करने के सम्बन्ध में संव्यवहार पूर्ण होने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण विवरण पृथक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त फ्लैट को क्रय करने के सम्बन्ध में प्रार्थी के अनुरोध–पत्र को स्पष्टीकरण सहित मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कृपापूर्ण अनुमति हेतु प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

सादर।

दिनांक – 29.12.2019

संलग्नक – यथोपरि

भवदीय

(सुरजन सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाहजहाँपुर

Scanned by CamScanner